संख्या– 96 /XXVII(1)/2009

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
लण्डौरा/ सुल्तानपुर।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून :: दिनांकः 06 : फरवरी, 2009

विषयः– **द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पंचायतों को धनराशि का संक्रमण (चतुर्थ त्रैमास किश्त हेतु)।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–48/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उक्त शासनादेश के संलग्नानुसार समस्त नगर पंचायतों को राज्य की वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी से मार्च) हेतु **रू0 17166931.00 (रू0 एक करोड़ इकहत्तर लाख छियासठ हजार नौ सौ इक्तीस मात्र)** अवमुक्त की गई थी। 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 में अवमुक्त धनराशि उपयोगिता प्रमाण–पत्र ना मिलने के कारण उनको देय समनुदेशन से समायोजित किया गया था।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो जाने के कारण रोकी गई **धनराशि रू0 1327577.00 (रू0 तेरह लाख सत्ताईस हजार पांच सौ सतहत्तर मात्र)** संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3–अवमुक्त की जा रही धनराशि शासनादेश सं0–48/XXVII(1)/2009 दिनांक 20 जनवरी,2009 में उल्लिखित शर्तों के अधीन ही व्यय की जायेगी।

4–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगरपंचायतें/

6/2/2009

नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।
संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,
6/2/2009
(एल0एम0 पन्त)
सचिव

संख्याः– 96 (1)/XXVII(1)/2008 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
4– निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, उद्यमसिह नगर/ हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7– मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उद्यमसिह नगर/ हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
6/2/2009
(एल0एम0 पन्त)
सचिव

C:\RS\GO 2007-08\nagar panchayat devmode-4

शासनादेश संख्याः 96 / XXVII (i) / 2009,
दिनांकः 06 : फरवरी, 2009 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु नगर पंचायतों को चतुर्थ त्रैमास की रोकी गई धनराशि का संकमण।

(धनराशि रू0 में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2008–09 हेतु चतुर्थ किश्त हेतु देय सकमण	अवमुक्त धनराशि	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त जारी की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
नगर पंचायत				
1-	लण्डौरा	1254000	434935	819065
2-	सुल्तानपुर	798000	289488	508512
	योग	2052000	724423	1327577

(रू0 तेरह लाख सत्ताईस हजार पांच सौ सतहत्तर मात्र)

6/2/2009
(एल0एम0 पन्त)
सचिव, वित्त।